

“परिशिष्ट”

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 2182

निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत विगत 03 वर्षों की जानकारी

क.	वर्ष	दंपत्ति में से एक निःशक्त		दंपत्ति में दोनों निःशक्त		कुल हितग्राही (कॉलम 3 एवं 5 का योग)	कुल राशि (कॉलम 04 एवं 06 का योग)
		हितग्राही	राशि (लाख में)	हितग्राही	राशि (लाख में)		
1	2013-14	43	10.75	20	10.00	63	20.75
2	2014-15	11	2.75	16	8.00	27	10.75
3	2015-16	28	13.50	25	25.00	53	38.50
	योग	82	27.00	61	43.00	143	70.00

टीप:- वर्ष 2015-16 के 28 हितग्राहियों में 2 हितग्राही पूर्व वर्ष के हैं, जिन्हें वर्ष 2015-16 में राशि स्वीकृत की गई है। राशि की गणना शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रोत्साहन राशि के अनुरूप की गई है।

उप संचालक(नि.क.)

वास्ते संचालक

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश